सप्तदश बिहार विधान सभा

दशम सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या–03 बुधवार, दिनांक–08 नवम्बर, 2023 ई०।

माननीय अध्यक्ष श्री अवध बिहारी चौधरी की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 11.14 बजे पूर्वाह्न तक

सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने पर आसन की अनुमति से माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा जाति गणना से संबंधित माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के प्रति विरोध जताया गया तथा शोरगुल करते हुए विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गए।

तदुपरान्त संसदीय कार्य मंत्री, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा सरकार की ओर से स्थिति स्पष्ट की गयी।

तदुपरान्त आसन द्वारा कहा गया कि यदि प्रोसिडिंग में असंसदीय भाषा अंकित हुआ है तो उसे नियमानुसार प्रोसिडिंग से हटा दिया जाएगा।

इसी दौरान माननीय मुख्यमंत्री सदन में आये और उनके द्वारा कल सदन में दिये गये वक्तव्य पर स्थिति स्पष्ट करते हुये कहा गया कि मेरे द्वारा कही गयी किसी भी बात से किसी की भावना को ठेस पहुँची है तो मैं अपनी उस बात को वापस लेता हूँ और खेद व्यक्त करता हूँ।

माननीय मुख्यमंत्री के वक्तव्य के बाद आसन से सदन में शान्ति कायम करने की अपील की गयी, परन्तु सदन में शान्ति कायम नहीं हो सकी और सदन की कार्यवाही 02:00 बजे अपराह्न तक के लिए आसन द्वारा स्थगित किया गया।

भोजनावकाश के बाद

(02.00 बजे अपराह्न से 02:16 बजे अपराह्न तक)

[इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया]

[1] **वित्तीय कार्य :– वित्तीय वर्ष 2023–24 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण में सम्मिलित अनुदान की मांग [शिक्षा विभाग] पर वाद–विवाद तथा मतदान**

माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, श्री चन्द्र शेखर द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण में सम्मिलित अनुदान की मांग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

आसन द्वारा माननीय सदस्य, श्री जनक सिंह का नाम कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए पुकारा गया, परन्तु माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

इस दौरान विपक्ष के माननीय सदस्यगण शोरगुल करते हुए वेल में आ गये। आसन द्वारा विपक्ष के माननीय सदस्यों से अपने–अपने स्थान पर बैठ जाने का अनुरोध किया गया और आसन की अनुमति से माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा अपनी बातों को रखा गया।

तत्पश्चात् माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग द्वारा भी वक्तव्य दिया गया। इस दौरान सदन में पुनः शोरगुल होने लगा।

आसन द्वारा पुनः विपक्ष के माननीय सदस्यों से अपने-अपने स्थान पर बैठ जाने तथा सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने देने का अनुरोध किया गया, परन्तु सदन में शान्ति कायम नहीं हो सकी और सभा की कार्यवाही 04:50 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित हुई।

स्थगनोपरान्त

(04:50 बजे अपराह्न से 05:24 बजे अपराह्न तक)

[इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया]

सरकार की ओर से माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, श्री चन्द्र शेखर द्वारा सरकार का पक्ष रखा गया।

इस दौरान सरकार के वक्तव्य से असंतुष्ट होकर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गये।

तत्पश्चात शिक्षा विभाग से संबंधित अनुदान की मांग का मूल प्रस्ताव सदन से स्वीकृत हुआ।

इसके उपरान्त वित्तीय वर्ष 2023-24 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण में सम्मिलित शेष अनुदान की मांगें बारी-बारी से मुखबंध (गिलोटीन) द्वारा स्वीकृत हुई।

[2] विधायी कार्य – राजकीय विधेयक :-

बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2023

माननीय मंत्री, वित्त विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2023 को सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया गया तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

विचार के प्रस्ताव पर स्वीकृति के उपरान्त खंडशः विचार के क्रम में सभी खंड एवं अनुसूची विधेयक के अंग बने।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया।

राजकीय वित्तीय विधेयक "बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2023" सदन द्वारा स्वीकृत हुआ।

[3] सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :-

(i) माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के तहत बिहार राज्य पुल निर्माण निगम से संबंधित वित्तीय वर्ष 2017-18 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया।

(ii) माननीय मंत्री, वित्त विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के तहत बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2018-19 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया।

(iii) माननीय सभापति, प्रत्यायुक्त विधान समिति, श्री अजीत शर्मा द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित विशेष प्रतिवेदन संख्या-5 की प्रति को सदन पटल पर रखा गया।

[4] निवेदन :-

आसन से घोषणा की गयी कि आज के लिए स्वीकृत कुल 64 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिए जाएगें।

[5] आसन की घोषणा :-

आसन द्वारा आज दिनांक 08.11.2023 के लिए स्वीकृत शून्यकाल की सूचनाओं को पढ़ा हुआ माना गया तथा ध्यानाकर्षण सूचनाओं को पढ़ा हुआ मानते हुए संबंधित विभाग को भेजने का निदेश दिया गया।

तत्पश्चात् सभा की बैठक वृहस्पतिवार, दिनांक-09 नवम्बर, 2023 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई।

पटना

दिनांक-08.11.2023

राज कुमार
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।